न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक दौसा बनाम दिनेश चन्द पुत्र श्री नाहरिया किस्म मुकदमा : इस्तगासा अन्तर्गत गुण्डा एक्ट मु0नं0 28/2015	
25.10.2024	पत्रावली पेश हुई। लोक अभियोजक उपस्थित। गैर सायल अनुपस्थित। थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा के पत्र क्रमांक 1491 दिनांक 08.04.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल दिनेश चन्द पुत्र नाहरिया जाति मीना निवासी पाखर द्वितीय थाना मण्डावर जिला दौसा के खिलाफ वर्ष 2014 के बाद कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक अभियोजक की बहस, थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डावर से प्राप्त रिपोर्ट मनन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डावर द्वारा गैर सायल के विरूद्ध वर्ष 2014 के बाद कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होना अवगत करवाया गया है। गैर सायल के विरूद्ध गत 10 वर्षो में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। गैर सायल की वर्तमान गतिविधियों को मध्यनजर रखते हुये गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है। अतः गैर सायल दिनेश चन्द पुत्र नाहरिया जाति मीना निवासी पाखर द्वितीय थाना मण्डावर जिला दौसा के विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत किया गया इस्तगासा इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि भविष्य में गैर सायल की गतिविधियां गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत समाज विरोधी पाई जाती है तो पुनः गैर सायल के विरूद्ध गुण्डा एक्ट में कार्यवाही हेतु इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुमित्रा पारीक) अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा Signature Not Verified Digitally signed by Sumitra Pareek Date: 2024.12.19 16:49:40 IST Reason: SelfAttested	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official